सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 439 राँची, सोमवार, 23 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 मार्च, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1771, दिनांक 29 नवम्बर, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-377, दिनांक 13 जनवरी, 2017 एवं पत्रांक-6311, दिनांक 18 मई, 2017
3. उपायुक्त, कोडरमा का पत्रांक-347/गो०, दिनांक 8 अप्रैल, 2016
4. आयुक्त के सचिव, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग का पत्रांक-53/गो०, दिनांक 22 जून, 2017

संख्या-5/आरोप-1-161/2016 का.-1998-- श्री सूर्य प्रकाश, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-584/03), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, कोडरमा के विरूद्ध माननीय मुख्यमंत्री को सम्बोधित डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1771, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 विभाग में प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रकाश के विरूद्ध जनहित के विपरीत कार्य करने और सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं ।

इसी बीच, मुख्य सचिव, झारखण्ड को सम्बोधित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ के पत्रांक-50, दिनांक 30 नवम्बर, 2016 प्राप्त है, जिसमें माननीय मंत्री, श्रीमती नीरा यादव पर श्री सूर्य प्रकाश, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, कोडरमा के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है ।

उक्त प्राप्त पत्रों को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-377, दिनांक 13 जनवरी, 2017 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से संबंधित मामले में प्रतिवेदन की माँग की गयी, जिसके आलोक में उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-347/गो०, दिनांक 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सहमति व्यक्त करते हुए उन्हें आरोप से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी ।

तत्पश्चात्, मुख्य सचिव, झारखण्ड के आदेशानुसार विभागीय पत्रांक-6311, दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा के प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । आयुक्त के सचिव, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-53/गो०, दिनांक 22 जून, 2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, कोडरमा द्वारा की गयी अनुशंसा पर सहमति व्यक्त की गयी ।

अतः उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त अनुशंसा एवं प्रमंडलीय आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री सूर्य प्रकाश, झा०प्र०से०, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, कोडरमा को आरोप से मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 439 -- 50